

कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 76 / 2023

मधु गुप्ता पुत्र गंगाचरण गुप्ता अपर लोक अभियोजक, निवासी एच-15 भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास

..रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 6.12.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त मधु गुप्ता पुत्र गंगाचरण गुप्ता अपर लोक अभियोजक, निवासी एच-15 भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास के विरुद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 2023 / 788 दिनांक 07.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास से कोई भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, सूचना उपलब्ध कराये जाने

(2)

आरटीआई/अपील/2023/76
मधु गुप्ता बनाम तहसीलदार रूपवास

का निवेदन किया है। इस बाबत तहसीलदार रूपवास से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर